समक्ष माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर पीठ भोपाल

पुनरीक्षण याचिका क्र0 /2018

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा.सं./2018/01162

भागीरथ माली
आयु लगभग 60 साल,
पुत्र स्वर्गीय श्री देवचंद माली,
निवासी- 210 बाग फूटी बावडी,
महामाई का बाग, भोपाल .... पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

श्री अवध नारायण शर्मा,
आयु लगभग 48 साल,
पुत्र स्वर्गीय श्री आशाराम
निवासी बैरागढ कलां भोपाल .... उत्तरदाता

अभिभाषक श्री .... द्वारा आज दिनांक 15/1/2018 को पेश।
15-1-18
कक्षा अधीक्षक

पुनरीक्षणकर्ता याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक विद्वान राजस्व निरीक्षक वृत्त क्रमांक 4 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 48/अ-12/2016-17 ग्राम मीरपुर पटवारी हल्का नंबर 34 तहसील हुजूर जिला भोपाल में पारित आदेश दिनांक 12.10.2017, जिसके द्वारा विद्वान राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा विधि विपरीत तरीके से सीमांकन सम्पन्न कराये जाने से व्यथित होकर निम्न ठोस तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :-

//त थ य//

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक ग्राम मीरपुर पटवारी हल्का नंबर 34 तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 93 एवं 122 रकबा 0.77 एवं 0.50 कुल 1.27 हैक्टेयर का राजस्व अभिलेख का भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2018/1162

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री अखिलेश तिवारी द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । राजस्व निरीक्षक वृत्त 4 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दि. 12-10-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा सीमांकन के संबंध में आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया, परन्तु आपत्ति के प्रमाण स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसलिये राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक की आपत्ति अमान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । आवेदक द्वारा इस न्यायालय में अवधि बाहय निगरानी प्रस्तुत की गई है तथा विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः यह निगरानी समय बाहय होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	